

नम्बर व तारीख
अहकामजोइसहुकम
की
तामीलमेंजारीहुए ।

हुकम या कार्यवाहीमदेइनिशियल्स
वकील फरीकेन उप०/५०० साहब अवकाश/दौर पर
पधारें हैं। पूर्वानुसार दिनांक.....को पेश हों।

वकील फरीकेन उप०/५०० साहब अवकाश/दौर पर
पधारें हैं। पूर्वानुसार दिनांक.....को पेश हों।

वकील फरीकेन उप०/५०० साहब अवकाश/दौर पर
पधारें हैं। पूर्वानुसार दिनांक.....को पेश हों।

वकील फरीकेन उप०/५०० साहब अवकाश/दौर पर
पधारें हैं। पूर्वानुसार दिनांक.....को पेश हों।

वकील फरीकेन उप०/५०० साहब अवकाश/दौर पर
पधारें हैं। पूर्वानुसार दिनांक.....को पेश हों।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत
आशियात २०११ केबय कोर्ट में पेश हुई। जस्टिस
उपस्थित हैं। प्रतिवादीगण को सुना गया तथा
पत्रावली का जवाब लोक अदालत में
आत्मतय जमा कर डी सी. २०६१-२०७० का
पत्रावली के अनुसार विवाहित आजीवन पत्नी
एवं अपात्रीगण की संयुक्त खातेदार की
है, इसलिए अन्य पक्षों के संयुक्त पक्षों
संबंध में हजरत शर्जी नहीं करने के लिए पक्षों
को जमाना उचित प्रतीत होगा है। अन्य
पक्षकारों के आवेदनों को वाइफर में
साक्ष्य एवं लफूटों के अनुसार परतम
विचार होगा।

अतः जमाना पत्र जारी लीफ्ट
दिये जायेंगे। इस न्यायलेख द्वारा चारित अंतरिम
कोर्ट दिनांक १५/१२/२०१३ को तफिसला देना
करना होगा है। जिला सी. जज कोर्ट
द्वारा पत्रावली के लक्षणों के अनुसार होगा।

शर्धा
दुरीमी हू
०१/५/११
रामशिलाश
भाभाराम
विजयराम

